निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश
8वॉ तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

आउट सोर्सिंग एजेन्सी के चयन हेतु अति अल्पकालिक निविदा

महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन मण्डल कार्यालयों, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालयों एवं विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गृहों/संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्य करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सेवायें प्राप्त कराने के लिए अनुभवी, प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी आउट सोर्सिंग एजेन्सी की आवश्यकता है। उक्त प्रकार के कार्मिकों को उपलब्ध कराने वाली आउट सोर्सिंग एजेन्सी जो निम्नलिखित न्यूनतम शर्तों को पूरा करती है, से अति अल्पकालिक निविदा सीलबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है:-

1. आउट सोर्सिंग एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए।
2. आउट सोर्सिंग एजेन्सी को शासकीय/अर्द्धशासकीय/भारत सरकार या राज्य सरकार की परियोजनाओं में मैंनपावर उपलब्ध कराने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3. आउट सोर्सिंग एजेन्सी के पास पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन, ई0एस0आई0 एवं लेबर लाईसेन्स पिछले 3 वर्षों से होना चाहिए।
4. आउट सोर्सिंग एजेन्सी के पास किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रतिष्ठान में एक हजार मैनपावर सप्लाई करने का सिंगिल आर्डर होना चाहिए।
5. आउट सोर्सिंग एजेन्सी कम से कम 400 लोगों का ई0एस0आई0 एवं पी0एफ0 जमा कर रही हो, इसके साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. आउट सोर्सिंग एजेन्सी के पास पैन कार्ड एवं सर्विस टैक्स अदा करने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
7. आउट सोर्सिंग एजेन्सी किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/परियोजनाओं/कार्यालयों की काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
8. आउट सोर्सिंग एजेन्सी को प्रदेश के किसी भी जनपद में अथवा विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे।
9. आउट सोर्सिंग एजेन्सी एवं निदेशालय, महिला कल्याण के मध्य आवश्यक शर्तों के संबंध में स्टाम्प पेपर पर एम0 ओ0 यू0 निष्पादित किया जायेगा।
10. चयनित आउट सोर्सिंग एजेन्सी को अपने स्तर से महिला कल्याण विभाग की नियमावली में वर्णित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन कर सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन कर सूची निदेशक, महिला कल्याण को कार्यादेश निर्गत होने के 01 माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी ।
11. चयनित आउट सोर्सिंग एजेन्सी द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में प्रभावी शासनादेशों के अनुसार ही अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
12. चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र, शैक्षिक अर्हता, निवास, जाति प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन का उत्तरदायित्व संबंधित चयनित आउट सोर्सिंग एजेन्सी का होगा।

13. अभ्यर्थियों के चयन में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर एवं जॉच में सही पाये जाने पर संबंधित संस्था के विरूद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही भी करायी जायेगी।
14. निदेशालय द्वारा आउट सोर्सिगं एजेन्सी को कार्मिकों के पारिश्रमिक एवं सर्विस चार्ज की धनराशि NEFT/RTGS से सीधे आउट सोर्सिगं एजेन्सी के बचत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।
15. आऊट सोर्सिगं एजेन्सी द्वारा कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान PFMS के माध्यम से NEFT/RTGS द्वारा सीधे उनके बचत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी तथा उसकी सूची प्रतिमाह अन्तरित धनराशि के विवरण के साथ निदेशालय को उपलब्ध करायेगा।
16. आउट सोर्सिगं एजेन्सी कार्मिक के ऊपर कुल व्यय पर 5% से अधिक धनराशि सर्विस चार्ज के रूप में नहीं ली जायेगी।
17. सर्विस चार्ज शून्य प्रतिशत अंकित करने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
18. आउट सोर्सिंग एजेन्सी का चयन होने, एम0ओ0यू0 निष्पादित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों की संख्या उल्लिखित करते हुए कार्यादेश उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यर्थियों की सेवाएँ किस जनपद में, किस संस्था में ली जायेगी, इसका निर्धारण निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा किया जायेगा।
19. टेण्डर दाता को कार्य के अनुमानित मूल्य की 02 प्रतिशत धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में अर्नेस्ट मनी जमा करनी होगी तथा टेण्डर स्वीकृत होने के बाद आउट सोर्सिंग एजेंसी को अनुमानित मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। जमानत धनराशि 02 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी की धनराशि जोड़कर ली जाएगी।
20. एम0ओ0यू0 निष्पादित होने के पश्चात् यदि आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा कार्य छोड़ दिया जाता है तो उसकी 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
21. आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा की गयी 10 प्रतिशत धनराशि विभाग के पास कार्य पूरा होने के 06 माह तक जमा रहेगी।
22. बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने तथा संस्था का चयन करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, महिला कल्याण में निहित होगा।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा हेतु सभी आवश्यक नियम एवं शर्तें, निविदा प्रपत्र, पदों का विवरण, पारिश्रमिक आदि की जानकारी श्री पुनीत कुमार मिश्रा, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी से दूरभाष नं. 0522–2288780, मो0 नं. 9889091297 पर तथा निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक नियम व शर्तें किसी भी कार्यालय दिवस में निदेशालय महिला कल्याण के 8वें तल, जवाहर भवन, लखनऊ से दिनांक 04.05.2017 तक प्रातः 9:30 बजे से 6:00 बजे सायं के मध्य रू0 500/– नगद भुगतान कर प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा केवल कार्यालय से निर्गत प्रपत्रों में ही मान्य होगी। निविदा संबंधी सीलबन्द लिफाफा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 05.05.2017 को 12:00 बजे तक होगी। सीलबन्द लिफाफा उसी दिन गठित कमेटी एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते विभाग की वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in एवं www.devnetjobsindia.org पर भी उपलब्ध है।

25/4/17

(राम केवल)
निदेशक।